

प्रकीर्ण वाद संख्या २३७/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. २०१/२०१९)
श्रीमती गंगा देवी आदि बनाम हमीद मोहम्मद आदि
३०.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती गंगा देवी व सूरज कुशवाहा, मुस्कान कुशवाहा व महक जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती गंगा देवी, नाथूराम (नत्थू), श्रीमती राजाबाई द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका लोक अदालत में निर्णीत हो चुकी है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि न्यायाधिकरण में जमा की जा चुकी है। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई अपील और न ही कोई स्टे है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में जमाशुदा धनराशि प्रार्थीगण के खाते में जिनकी पास बुक की छाया प्रतियाँ प्रार्थीगण द्वारा दाखिल की गयी है, में भेजे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती गंगा देवी का शपथपत्र ४सी२, व अपने-अपने बैंक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. २०१/२०१९ श्रीमती गंगा देवी आदि बनाम हमीद मोहम्मद आदि की पत्रावली, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती गंगा देवी ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। एम.ए.सी.पी. सं. २०१/२०१९ की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक ०१.११.२०२० को ई लोक अदालत में ₹ ७,९५,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से प्रार्थीगण/याचीगण सं. १ लगायत ६ को क्रमशः २५, २०, २०, २०, ०५ व १० प्रतिशत भाग धनराशि प्राप्त होनी है तथा याची सं. २ लगायत ४ अवयस्कगण की सम्पूर्ण धनराशि उनके वयस्क होने तक के लिए सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती गंगा देवी रखे जाने हैं तथा याची सं. १, ५ व ६ के भाग की ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी ३-३ वर्ष के लिए व उनके शेष भाग २५-२५ प्रतिशत धनराशि उन्हें जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने-अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक १६८ पर श्री अफजाल अहमद एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में UTR No. AXISP00160890805 द्वारा ₹ ७,९५,००० जमा होने का इन्द्राज है। अतः मेरे विचार से प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण प्रस्तुत याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ७,९५,००० मय अब तक अर्जित ब्याज को जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में व जरिए एफ.डी.आर. व वर्णित एन्युटी स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २०१/२०१९ (प्रकीर्ण वाद सं. २३७/२०२० श्रीमती गंगा देवी आदि बनाम हमीद मोहम्मद आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
--------------------------	----------------	---	-------------------------	------------------------	------	--------------

1. Smt. Gaga Devi	149062.50	18.75	Anuity for 3 Years	—	Any Nationalized Bank	—
1. Smt. Gaga Dev	49687.50	6.25	Elect.Mode RTGS/NEFT	33443281595	S.B.I. Branch Gandhi Ganj Mauranipur	SBIN000 0131
2. Suraj (Minor)	159000	20	FD carrying highest interest Through Natural guardian/ Mother Smt. Ganga Devi up to her Majority	—	Any Nationalized Bank	—
3. Kum. Muskan (Minor)	159000	20	FD carrying highest interest Through Natural guardian/ Mother Smt. Ganga Devi up to her Majority	—	Any Nationalized Bank	—
4. Kum. Mahak (Minor)	159000	20	FD carrying highest interest Through Natural guardian/ Mother Smt. Ganga Devi up to her Majority	—	Any Nationalized Bank	—
5. Nathuram	29812.50	3.75	Anuity for 3	—	Any	—

			Years		Nationalized Bank	
5. Nathuram	9937.50	1.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	2039534376	Central Bank oF India Branch Ganesh Bhavan Mudduriyaganj Mauranipur	CBIN0280176
6. Smt. Raja bai	59625	7.50	Anuity for 3 Years	—	Any Nationalized Bank	—
6. Smt. Raja bai	19875	2.50	Elect. Mode RTGS/NEFT	2039626698	Central Bank oF India Branch Ganesh Bhavan Mudduriyaganj Mauranipur	CBIN0280176
Total	795000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।